

## अध्याय 1

### अवलोकन

#### 1.1 राज्य की रूपरेखा

झारखण्ड राज्य नवम्बर 2000 में बिहार राज्य से अलग करके बनाया गया। इसका क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक क्षेत्र में, यह देश का 16<sup>वाँ</sup> सबसे बड़ा राज्य है, जिसका 29.62 प्रतिशत क्षेत्रफल वनाच्छादित है। राज्य में 24 जिले हैं, जिनमें से नौ जिले अपने भौगोलिक क्षेत्र के 30 से 56 प्रतिशत तक वनक्षेत्र से आच्छादित हैं।

झारखण्ड की भूमि विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधनों से परिपूर्ण हैं। प्रमुख खनिज संसाधन जैसे कोयला, लौह-अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर, ताम्बा, अभ्रक, ग्रेफाइट, चीनी मिट्टी और यूरेनियम है। झारखण्ड देश में कोकिंग कोल और यूरेनियम का एकमात्र उत्पादक है। 31 मार्च, 2020 तक राज्य में प्रमुख खनिजों के 373 खादानें, लघु खनिजों के 3,572 खादानें तथा प्रमुख एवं लघु दोनों खनिजों के 7 खादानें हैं।

जैसा कि परिशिष्ट 1.1 भाग 'क' में दर्शाया गया है, राज्य की जनसंख्या 10 वर्षों में 14.71 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2011 के 3.33 करोड़ से बढ़कर, वर्ष 2020 में 3.82 करोड़ हो गई। वर्तमान मूल्य पर वर्ष 2019-20 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ₹ 3,28,598 करोड़ था। वर्तमान मूल्य पर 2019-20 के दौरान राज्य की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय ₹ 90,475 थी।

#### 1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस.एफ.ए.आर.) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के तहत तैयार और प्रस्तुत किया जाता है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कोषागारों द्वारा प्रेषित अभिश्रव, चालान तथा प्रारंभिक और सहायक लेखे, ऐसे लेखे को रखने के लिए जिम्मेदार कार्यालयों से प्राप्त लेखे एवं भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणियों के आधार पर राज्य के वार्षिक वित्त लेखे और विनियोग लेखे तैयार करते हैं। इन लेखाओं का प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा किया जाता है, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण किया जाता है। राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन हेतु मूल आँकड़े प्रदान करते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल है:

- पूर्वानुमान के सापेक्ष आवंटन प्राथमिकताओं एवं राजकोषीय मापदण्डों का आकलन करने के साथ-साथ संगत नियमों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं सहित

अनुपालन और इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता के मूल्यांकन हेतु राज्य का बजट;

- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय द्वारा किए गए लेखापरीक्षा का परिणाम;
- विभागीय प्राधिकरण और कोषागार (लेखे के साथ-साथ एम.आई.एस.) के अन्य आँकड़े,
- स.रा.घ.उ. आँकड़े और अन्य राज्य से संबंधित सांख्यिकी और;
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

विश्लेषण 14<sup>वें</sup> वित्त आयोग के अनुशंसाओं, राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, भारत सरकार के सर्वोत्तम प्रथाओं एवं दिशानिर्देशों के संदर्भ में किया गया था। राज्य वित्त विभाग के साथ एक बैठक हुई, जिसमें लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण को समझाया गया और ड्राफ्ट रिपोर्ट को टिप्पणियों हेतु राज्य सरकार को भेजा गया था। सरकार के जवाब, जो भी प्राप्त हुए, इस प्रतिवेदन में उपयुक्त स्थानों पर शामिल किए गए।

### 1.3 सरकारी लेखा संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का अवलोकन

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं :

1. राज्य की समेकित निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (1))
2. राज्य की आकस्मिक निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 267 (2))
3. राज्य के लोक लेखे (संविधान के अनुच्छेद 266 (2))

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में सरकार के अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना भारत में एक संवैधानिक (अनुच्छेद 202) आवश्यकता होती है। यह “वार्षिक वित्तीय विवरण” मूल बजट दस्तावेज़ का गठन करता है। इसके अलावा, बजट को अन्य व्यय से राजस्व लेखे पर व्यय को अलग करना चाहिए।

**राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, संघीय करों/ शुल्कों का हिस्सा तथा केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल हैं।

**राजस्व व्यय** में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं, जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों और विविध सेवाओं के सामान्य कामकाज पर व्यय, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान, और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (भले ही कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए हो सकते हैं) से संबंधित है।


**पूँजीगत प्राप्तियों** में शामिल है:

**ऋण प्राप्तियाँ:** बाजार उधार, बॉण्ड, वित्तीय संस्थानों से उधार, अर्थोपाय अग्रिम के तहत शुद्ध लेन-देन, केंद्र सरकार से उधार एवं अग्रिम आदि।

**गैर-ऋण प्राप्तियाँ:** विनिवेश से लाभ, उधार व अग्रिमों की वसूली।

**पूँजीगत व्यय** में भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण पर व्यय, शेयरों में विनिवेश तथा सरकार द्वारा पी.एस.यू. एवं अन्य पक्षों को दिये गए उधार एवं अग्रिम शामिल है।

**चार्ट 1.1 : सरकारी लेखे की संरचना**



वर्तमान में, हमारे पास सरकार में एक लेखांकन वर्गीकरण प्रणाली है, जो कार्यात्मक एवं आर्थिक दोनों है।

**तालिका: 1.1 : सरकारी लेखे की वर्गीकरण प्रणाली**

	लेन-देन की आकृति	वर्गीकरण
सी.जी.ए. द्वारा एल.एम.एम.एच में मानकीकृत	कार्य - शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि	अनुदान अन्तर्गत प्रमुख शीर्ष (4-अंकीय)
	उप-कार्य	उप प्रमुख शीर्ष (2-अंकीय)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंकीय)
राज्यों को निर्णय की स्वतंत्रता	योजना	उप शीर्ष (2-अंकीय)
	उप योजना	विस्तृत शीर्ष (2-अंकीय)
	आर्थिक प्रकृति/ क्रियाकलाप	वस्तु शीर्ष - वेतन, लघु कार्य, इत्यादि, (2-अंकीय)

कार्यात्मक वर्गीकरण से हमें विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम और व्यय के लक्ष्य की जानकारी मिलती है। आर्थिक वर्गीकरण राजस्व, पूँजी, ऋण आदि के रूप में इन

भुगतानों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। आर्थिक वर्गीकरण 4-अंकीय प्रमुख शीर्षों के पहले अंक में सन्निहित सांख्यिकीय तर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, 0 और 1 राजस्व प्राप्तियाँ हेतु, 2 और 3 राजस्व व्यय हेतु, इत्यादि है। आर्थिक वर्गीकरण एक अंतर्निहित परिभाषा और कुछ लक्ष्य (ऑब्जेक्ट) शीर्षों के वितरण द्वारा भी प्राप्त किया जाता है जो बजट दस्तावेजों में विनियोग की प्राथमिक इकाई हैं। उदाहरण के लिए लक्ष्य शीर्ष “वेतन” राजस्व व्यय एवं लक्ष्य शीर्ष “निर्माण” पूँजीगत व्यय है। वित्त लेखे के ब्यौरे **परिशिष्ट 1.1 भाग ख** में दिये गए हैं।

### **बजटीय प्रक्रिया**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के संदर्भ में, वार्षिक वित्तीय विवरणी के रूप में, वर्ष 2019-20 के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियाँ और व्यय का विवरण राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाता है। अनुच्छेद 203 के संदर्भ में, यह विवरण अनुदानों/ विनियोगों के लिए माँगों के रूप में राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के पश्चात, समेकित निधि से वांछित राशि के विनियोग के लिए अनुच्छेद 204 के तहत विधानमण्डल द्वारा विनियोग विधेयक पारित किया जाता है।

राज्य बजट नियमावली बजट तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण देता है और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमानों को तैयार करने तथा अपने व्यय गतिविधियों की निगरानी करने में दिशानिर्देश प्रदान करता है। बजट की लेखापरीक्षा जाँच और राज्य सरकार की अन्य बजटीय पहल के कार्यान्वयन के परिणाम इस प्रतिवेदन के **अध्याय 3** में विस्तृत हैं।

### **1.3.1 झारखण्ड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद**

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) किसी निश्चित समय में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। स.रा.घ.उ. की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह समय की अवधि में राज्य के आर्थिक विकास स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है।

स.रा.घ.उ. के क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन भी अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि को सामान्यतः प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप हैं।


तालिका 1.2: स.रा.घ.उ. में राष्ट्रीय स.घ.उ. की तुलना में रुझान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राष्ट्रीय स.घ.उ. (2011-12 श्रृंखला)	1,37,71,874	1,53,91,669	1,70,98,304	1,89,71,237	2,03,39,849
पिछले वर्ष की तुलना में स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.46	11.76	11.09	10.95	7.21
राज्य का स.रा.घ.उ. (2011-12 श्रृंखला)	2,06,613	2,36,250	2,69,816	2,97,204	3,28,598
पिछले वर्ष की तुलना में स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	-5.45	14.34	14.21	10.15	10.56


स्रोत: MoSPI, भारत सरकार

चार्ट 1.2: स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन (2015-16 से 2019-20)



स्रोत: MoSPI, भारत सरकार

चार्ट 1.3: स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय वृद्धि



### 1.3.2 वित्त का आशुचित्र

निम्न तालिका वर्ष 2019-20 के लिए बजट अनुमानों के सापेक्ष 2019-20 के वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रदान करता है।

तालिका: 1.3 बजट अनुमान के संबंध में वास्तविक वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	2018-19 (वास्तविक)	2019-20 (बजट आकलन)	2019-20 (वास्तविक)	ब.आ. से . वास्तविक की प्रतिशतता (2019-20)	स.रा.घ.उ. से वास्तविक की प्रतिशतता (2019-20)
1	कर राजस्व	14,752	24,319	16,771	68.96	5.10
2	गैर-कर राजस्व	8,258	11,771	8,750	74.34	2.67
3	केंद्रीय कर/शुल्क का हिस्सा	23,903	21,399	20,593	96.23	6.27
4	सहायता अनुदान तथा अंशदान	9,236	15,370	12,303	80.05	3.74
5	<b>राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)</b>	<b>56,152</b>	<b>72,859</b>	<b>58,417</b>	<b>80.18</b>	<b>17.78</b>
6	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	47	55	49	89.09	0.02
7	अन्य प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0.00
8	लोक ऋण	7,803	12,000	9,593	79.94	2.92
9	<b>पूँजी प्राप्तियाँ (6+7+8)</b>	<b>7,850</b>	<b>12,055</b>	<b>9,642</b>	<b>79.98</b>	<b>2.93</b>
10	<b>कुल प्राप्तियाँ (5+9)</b>	<b>64,002</b>	<b>84,914</b>	<b>68,059</b>	<b>80.15</b>	<b>20.71</b>
11	<b>राजस्व व्यय</b>	<b>50,631</b>	<b>66,317</b>	<b>56,457</b>	<b>85.13</b>	<b>17.18</b>
12	ब्याज भुगतान	4,852	5,187	5,308	102.33	1.62
13	पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सहायता अनुदान	8,447	8,169	7,079	86.66	2.15
14	<b>पूँजी व्यय</b>	<b>12,197</b>	<b>14,419</b>	<b>10,044</b>	<b>69.66</b>	<b>3.06</b>
15	पूँजी परिव्यय	10,712	12,864	9,879	76.80	3.01
16	ऋण एवं अग्रिम	1,485	1,555	165	10.61	0.05
17	<b>कुल व्यय (11+14)</b>	<b>62,828</b>	<b>80,736</b>	<b>66,501</b>	<b>82.37</b>	<b>20.24</b>
18	<b>राजस्व आधिक्य (5-11)</b>	<b>5,521</b>	<b>6,542</b>	<b>1,960</b>	<b>29.96</b>	<b>0.60</b>
19	<b>प्रभावित राजस्व घाटा (18-13)</b>	<b>-2,926</b>	<b>-1,627</b>	<b>-5,119</b>	<b>314.63</b>	<b>-1.56</b>
20	<b>राजकोषीय घाटा {17-(5+6+7)}</b>	<b>6,629</b>	<b>7,822</b>	<b>8,035</b>	<b>102.72</b>	<b>2.45</b>
21	<b>प्राथमिक घाटा (20-12)</b>	<b>1,777</b>	<b>2,635</b>	<b>2,727</b>	<b>103.49</b>	<b>0.83</b>

### 1.4 राजकोषीय संतुलन : घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

राज्य सरकार ने मध्यम अवधि ढाँचे के रूप में राजकोषीय घाटे को कम करने और समग्र सतर पर/बकाया ऋण को स्वीकार्य स्तर तक पहुँचाने, बेहतर ऋण प्रबंधन की स्थापना और पारदर्शिता में सुधार करके, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफ.आर.बी.एम.), 2007 को राजकोषीय घाटे को घटाते हुए राजकोषीय प्रबंधन में विवेक को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पारित किया

है। इस सन्दर्भ में, अधिनियम घाटा उपायों और ऋण स्तर के संबंध में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले मात्रात्मक लक्ष्य प्रदान करता है।

तालिका 1.4: एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत राज्य के एम.टी.एफ.पी. में प्रावधानों का अनुपालन


राजकोषीय पैरामीटर	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धियाँ (₹ करोड़ में)				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजस्व अधिशेष	राजस्व अधिशेष	4,085 ✓	1,965 ✓	1,804 ✓	5,521 ✓	1,960 ✓
राजकोषीय घाटा (स.रा.घ.उ. के प्रतिशतता के रूप में)	तीन प्रतिशत	11,523 <sup>1</sup> (5.58) ✓	10,193 (4.31) X	11,933 (4.42) X	6,629 (2.23) ✓	8,035 (2.45) ✓
स.रा.घ.उ. से कुल बकाया ऋण का अनुपात (प्रतिशत में)	27.1 से 28.3 प्रतिशत के बीच	27.4	28.3	27.9	27.2	27.1
	वास्तविक	27.36 ✓	28.29 ✓	28.57 X	28.19 X	28.73 X

तालिका 1.5: वर्ष 2019-20 के लिए एम.टी.एफ.पी. में प्रक्षेपण के संबंध में वास्तविकता


क्र.सं.	राजकोषीय परिवर्तनीय	एम.टी.एफ.पी. के अनुसार प्रक्षेपण	वास्तविक (2019-20)	प्रवर्तन (प्रतिशत में)
1	स्वयं कर राजस्व	20,850	16,771	(-)19.56
2	गैर-कर राजस्व	10,674	8,750	(-)18.03
3	केन्द्रीय करों का हिस्सा	29,000	20,593	(-)28.99
4	भा.सरकार द्वारा सहायता अनुदान	13,834	12,303	(-)11.07
5	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	74,358	58,417	(-)21.44
6	राजस्व व्यय	65,803	56,457	(-)14.20
7	राजस्व घाटा(-)/ अधिशेष(+)	(+)8,555	(+)1,960	(-)77.09
8	राजकोषीय घाटा(-)/ अधिशेष(+)	(-)7,155.63	(-)8,035	12.29
9	ऋण - स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	27.10	28.73	1.63
10	वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. विकास दर (प्रतिशत)	7.20	10.56	3.36

<sup>1</sup> उदय बाण्ड पर ऋण/उधार के कारण बढ़ोतरी


चार्ट 1.4: घाटा पैरामीटर में रुझान



चार्ट 1.5: स.रा.घ.उ. के सापेक्ष अधिशेष घाटे में रुझान



चार्ट 1.6: राजकोषीय देन-दारियों और स.उ.घ.रा. में रुझान





## 1.5 लेखापरीक्षा में परीक्षण के बाद घाटा और कुल ऋण/बकाया

### 1.5.1 लेखापरीक्षा के पश्चात - घाटा

पूँजी और गैर बजटीय राजकोषीय संचालन के रूप में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण राज्य के वित्त का गलत चित्रण दर्शाता है। इसके अलावा, स्पष्ट देनदारियों का स्थगन, समेकित निधि में उपकर/राँयल्टी जमा नहीं करना, नई पेंशन योजना, सिंकिंग एवं मोचन निधि इत्यादि में कमतर अंशदान भी देनदारियों, राजस्व और राजकोषीय घाटे को प्रभावित करता है। वास्तविक आंकड़ों पर पहुँचने हेतु, ऐसे अनियमितताओं के प्रभाव को प्रतिकूल किए जाने की आवश्यकता है।

तालिका 1.6: लेखापरीक्षा निष्कर्ष के अनुसार राजस्व और राजकोषीय घाटा

ब्यौरा	राजस्व घाटा पर प्रभाव (न्यूनोक्ति(+)/अत्योक्ति (-) (₹ करोड़ में )	राजकोषीय घाटा पर प्रभाव (न्यूनोक्ति) (₹ करोड़ में)	संदर्भ कंडिका
लोक लेखा में समर्पित निधियों को उपकर के न्यून/कम अंतरण	550.18	550.18	4.1
समेकित सिंकिंग निधि में योगदान नहीं	280.16	280.16	2.5.3
पूँजी के बजाय राजस्व अनुभाग के अधीन बजट किए गए/इंद्राज किए गए मुख्य कार्य	0.40	0.00	3.3.3
एस.डी.आर.एफ. पर ब्याज देनदारियों का गैर-निर्वहन	689.61	689.61	2.5.2
<b>कुल</b>	<b>1,520.35</b>	<b>1,519.95</b>	

स्रोत : वित्त लेखा तथा लेखापरीक्षा विश्लेषण

यह देखा जा सकता है कि राजस्व आधिक्य में ₹ 1,520.35 करोड़ की अत्योक्ति और राजकोषीय घाटा में ₹ 1,519.95 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। अतः राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटा वित्त लेखे में दर्शाए गए ₹ 1,960.91 करोड़ और ₹ 8,034.44 करोड़ के स्थान पर वास्तव में क्रमशः ₹ 440.16 करोड़ और ₹ 9,554.39 करोड़ रहा। उपरोक्त तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि राज्य के दायित्वों को ₹ 1,519.95 करोड़ तक कम दर्शाया गया।

तालिका 1.7: वर्ष 2019-20 के लिए पूर्व और बाद के लेखापरीक्षा प्रमुख राजकोषीय परिवर्तन

(प्रतिशत में)

राजकोषीय परिवर्तन	2019-20				लेखापरीक्षा के पश्चात वास्तविक
	राज्य हेतु एफ.एफ.सी. अनुमान	एम.टी.एफ.पी. में वर्णित लक्ष्य	बजट अनुमानों के अनुसार लक्ष्य	वास्तविक	
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व घाटा (-) /अधिशेष (+)	घनात्मक	(+)2.49	(+) 1.91	(+)0.60	(+)0.13
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय घाटा	3.25	2.09	2.28	2.45	2.91
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष सरकार का कुल बकाया ऋण का अनुपात	26.80	27.10	-	28.73	29.19

राज्य ने वर्ष 2014-15<sup>2</sup> को छोड़कर, राजस्व घाटे को राजस्व अधिशेष में बदलकर एफ.आर.बी.एम. अधिनियम 2007 में दिए गए लक्ष्यों को हासिल किया, लेकिन स.रा.घ.उ. के प्रतिशतता के संदर्भ में, यह बजट अनुमान और एम.टी.एफ.पी. अनुमान से कम था। हालांकि, तालिका 1.7 में दिखाए गए अविभाजित दायित्व को लेखे में लेने के बाद 0.47 प्रतिशत का परिवर्तन देखा गया।

2019-20 के दौरान, जी.एस.डी.पी. अनुपात के सापेक्ष राजकोषीय घाटा एफ.एफ.सी. द्वारा अनुशंसित सीमा 3.25 प्रतिशत के भीतर था, जबकि, यह एम.टी.एफ.पी. में दिए गए लक्ष्य से अधिक था। राज्य का ऋण- स.रा.घ.उ. अनुपात एफ.एफ.सी. प्रक्षेपण और एम.टी.एफ.पी. अनुमान से अधिक था।

लोक ऋण और लोक लेखा सहित राज्य के कुल ऋण/दायित्वों की व्याख्या इस प्रतिवेदन के अध्याय-2 में की गई है। इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियाँ, निगमों, एस.पी.वी. इत्यादि द्वारा कोई गैर-बजट उधार नहीं लिया गया।

<sup>2</sup> राजस्व अधिशेष ₹ 230 करोड़